# न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

**अपील/डिक्री/टी.ए./3074/2005/भरतपुर**

1— फतेहराम पुत्र रामस्वरूप
2— जंगलिया उर्फ मोहनसिंह पुत्र रामस्वरूप
सभी जाति जाट निवासी ग्राम रोनीजा तहसील नदवई
जिला भरतपुर।

**.....अपीलार्थीगण**

**बनाम**

1— बृजमोहन ) पिसरान तेजी पुत्री छोटेाल जाति जाट निवासी
2— भीमसिंह ) ग्राम थून तहसील नगर जिला भरतपुर।
3— मु0 रामवती )
4— मु0 केली )

**.....प्रत्यर्थीगण**

**खण्ड—पीठ**
**श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य**
**श्री पंकज नरूका, सदस्य**

**उपस्थित :**
श्री ओ.एल.दवे, अधिवक्ता अपीलार्थी।
श्री राजेश गौतम, अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

———

**निर्णय**

**दिनांकः— 18—7—2019**

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग द्वारा प्रकरण संख्या 39/03 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07—6—2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) नगर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध अपीलार्थीगण के पिता श्री रामस्वरूप पुत्र कल्याण के विरूद्ध इस आशय का

पेश किया कि साबिक खसरा नंबर 415 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा वाके ग्राम थून वादीगण के पिता तेजी पुत्र छोटे लाल के कब्ज़े काश्त व खातेदारी की भूमि है। दौराने सेटलमेंट उक्त साबिक खसरा नंबर 415 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा से नवीन खसरा नंबर 1877 रकबा 0.27 बनाया गया। उक्त गलत इन्द्राज की आड़ में वादी के कब्जे काश्त में प्रतिवादी दख्लंदाजी करता है तथा रहन बय व मुंतकिल करने पर आमादा है। इस पर वादीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 04–01–99 द्वारा नियमित वाद दायर करने के दिशा निर्देश दिये। जिसकी पालना में यह दावा प्रस्तुत किया गया। अन्त में वादीगण ने निवेदन किया कि दावा डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नंबर 1877 रकबा 0.27 ऐयर वाक ग्राम थून पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादी अपने जवाबदावा में बताया कि साबिक खसरा ंनबर 414 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम थून पर प्रतिवादी संख्या 2016–19 की जमाबंदी में गैर मौरूस दर्ज है तथा बंदोबस्त कार्यवाही में उक्त साबिक खसरा नंबर 414 के हाल खसरा नंबर 1877 रकबा 0.27 बनाया गयर है जो प्रतिवादी के हमेशा से कब्जे काश्त में है। दावे व जवावबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने 4 तनकियां कायम की तथा सभी तनकियों पर विश्लेषण देते हुए उन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17–02–2003 द्वारा वाद वादीगण डिक्री कर विवादित आराजी से प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया। उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण ने न्यायलय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 07–6–2005 द्वारा अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज कर दी। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण ने यह द्वितीय इस न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण / प्रतिवादीगण ने अपील–मीमों में अंकित अपील आधारों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य व अपनी अपनी ओर से गवाहान के बयान कराये हैं। विचारण न्यायालय ने वादी का वाद

प्रमाणित नहीं होने पर भी अपने निर्णय व डिक्री द्वारा डिक्री किया है जिसे असंतुष्ट होकर प्रतिवादी–अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जो गलत व गैर कानूनी रूप से अस्वीकार कर दी गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री वास्तविकता से परे कयासों पर आधारित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रतिवादी की शहादत को गलत रूप से पढ़ा है एवं गलत अर्थ लगाया है। प्रतिवादी ने संदेह से परे यह साबित कर दिया था कि खसरा नंबर 1877 रकबा 0.27 ऐयर पुराने खसरा नंबर 414 से बने हैं जो कि प्रतिवादी की खातेदारी का है, फिर भी विचारण न्यायालय ने वादी के हक में निर्णय दिया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णय देने में ओवर–राईटिंग होने का बहाना लिया है जबकि खसरा पत्रक एवं जमाबंदी में स्पष्ट इन्द्राज है फिर भी दावे को डिक्री करने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने भारी भूल की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने तनकी संख्या 2 व 3 का निर्णय बिना विवेचना एवं विश्लेषण किये पारित किया है। अन्त में उनका कथन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07–6–05 तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नगर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–02–2003 अपास्त किये जावे तथा वाद वादी डिक्री किया जावे। अपने कथन के समर्थन में उन्होंने ए.आई.आर. 2001 (एस.सी.) पेज 2171, 1987 आर.आर.डी. पेज 202, 1973 आर. आर.डी. पेज 20 न्यायिक दृष्टात प्रस्तुत किये।

5– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में बताया कि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री पारित करने में क्या विधिक त्रुटि की है यह उन्होंने अपनी बहस में कहीं कथन नहीं किया है, केवल यह कह देना कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने कयासों के आधार पर निर्णय किया है, यह सही नहीं है। विचारण न्यायालय ने दावे में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड तथा मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य को मध्य नजर रखते हुए तथा तनकियों पर अपना विश्लेषण देते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने भी उचित माना है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है जिनमें द्वितीय अपील के जरिये हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावे।

6— उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

7— विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कुल 4 तनकियात कायम की है जिसमें से प्रत्यर्थी / वादी को साबित करना था कि खसरा नंबर 1877, साबिक खसरा नंबर 415 से बना है, जबकि इसके विपरीत तनकी संख्या—2 के तहत् अपीलार्थी / प्रतिवादी पर यह भार था कि वह साबित करे कि हाल खसरा नंबर 1877 साबिक खसरा नंबर 414 से बना है। यह दोनों तनकियात एक—दूसरे के विपरीत हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने उभय पक्षों की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन करते हुए निर्णय में अंकित किया है कि खसरा पत्रक 2030 में खसरा नंबर 1878 / 0.71 साबिक खसरा नंबर 412 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा व खसरा नंबर 414 या ओवर—राईटिंग कर खसरा नंबर 410 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा से मिलकर बना है। खसरा नंबर 410 का रकबा जमाबंदी संवत 2016 से 2019 एग्जीबिट ए—1 के अनुसार 3 बीघा 18 बिस्वा है। अतः यह खसरा नंबर 410 का रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा व 412 का रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा मिलाकर कुल रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा अर्थात 1.02 हैक्टर का है जबकि खसरा नंबर 1878 का रकबा 0.71 हैक्टर ही है। इसी प्रकार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इसके पश्चात् निर्णय में अंकित किया गया है कि खसरा नंबर 414 का रकबा 412 का योग करने पर 4 बीघा 5 बिस्वा अर्थात 0.68 हैक्टर होता है और इस प्रकार खसरा नंबर 1878 रकबा 0.71 को साबिक खसरा नंबर 412 व 414 से मिलकर बने होना पाते हुए तथा हाल व साबिक नक्शों की प्रतियों के मिलान से भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि खसरा नंबर 1878 साबिक खसरा नंबर 412 व 414 से मिलकर ही बना है। इस प्रकार तनकी संख्या—1 को वादी / प्रत्यर्थी के पक्ष में निर्णित किया गया है, फलस्वरूप तनकी संख्या—2 को प्रतिवादी द्वारा साबित नहीं पाने पर उक्त तनकी को प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित किया है। विद्वान अपील न्यायालय द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के तनकीवार निर्णय के संबंध में समुचित विवेचन करते हुए निर्णय व डिक्री यथावत रखा गया है जिसके विरूद्ध दौराने बहस इस न्यायालय के समक्ष हालांकि यह बहस की गई है कि वादी का वाद प्रमाणित नहीं होता है, फिर भी गलत रूप से डिक्री कर दिया है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व डिक्री वास्तविकता से परे कयासों पर आधारित होने से निरस्तनीय है, किन्तु विचारण न्यायालय की पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर उक्त

तर्को को अपीलार्थीगण की ओर से इस न्यायालय के समक्ष स्थापित नहीं किया जा सका है बल्कि विचारण न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर आधारित है जिसे आलोच्य अपील निर्णय द्वारा बहाल रखा गया है। अपीलार्थीगण की ओर से जो सम्मानीय न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये है, वे भी तथ्यों की भिन्नता के कारण उन्हें कोई मदद प्रदान नहीं करते हैं। अपील में अंकित किसी भी आधार को अपीलार्थीगण की ओर से स्थापित नहीं किया जा सका है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में हस्तक्षेप का कोई भी आधार मौजूद नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है तथा अधीनस्थ विचारण न्यायालय तथा प्रथम अपील न्यायालय के निर्णय व डिक्री यथावत रखे जाने योग्य हैं।

8— परिणामतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07—6—2005 तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) नगर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17—02—2003 की पुष्टि की जाती है।

9— इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आदेश की पालनार्थ अविलंब प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक .....को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

**(पंकज नरूका)**
**सदस्य**

**(प्रवीण गुप्ता)**
**सदस्य**